Form-I

(For linear project)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Balrampur

Letter No. 4 /भू-अर्जन/वन/18 Date : 12-01-18

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional Forest land Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose, it is certified that **Total 2.628 Ha. Forest land** proposal to be diverted I favor of **Public Work Department (PWD) Division Ramanujgnaj,** (Name of Agency) for **Balangi Jhapar to U.P. Border Road** work (purpose) for diversion of forest land in Balrampur-Ramanujganj District all within jurisdiction of Wadrafnagar Village in Wadrafnagar Tehsil.

It is Further Certified that:

a. The complete process for idendification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.628 Ha. Revenue & Protected Forest land** for diversion a copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee(S), Gram Sabha(S), Sub-Division level committees and the District level Committee are enclosed as Annexure **1 to 3.**

b. The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consents to it:

c. The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Enclode : AS above

Collector
Distt. Balrampur (C.G.)

COLLECTOR
Balrampur-R.ganj (C.G.)

प्रदर्श "स"

प्रमाण पत्र

मेसर्स लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुज को ग्राम–बलंगी (झापर) से उत्तर प्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण हेतु बलरामपुर में बलरामपुर वनमण्डल के वाड्रफनगर अन्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन हेतु 2.628 हे० वनभूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की 0.50 हे० राजस्व वन भूमि एवं 2.128 हे० संरक्षित वन भूमि कुल 2.628 हे० वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम बलंगी (झापर), तहसील वाड्रफनगर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 06.11.2017 (प्रदर्श "अ") एवं दिनांक 06.01.2018 को अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की आयोजित बैठक तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन (प्रदर्श "ब") पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **ग्राम झापर** में श्री चन्द्रमणी सिंह की अध्यक्षता में हुई। ग्राम सभा की बैठक दिनांक 06.11.2017 में रखा गया था एवं इसमें 65 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत् वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है।

क्र०	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे० में)
01	02	03	04
1.	झापर	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमे ग्रामसभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 06.11.2017 एवं अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 06.01.2018 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी०टी०जी०) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्रामसभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 06.01.2018 एवं अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 06.01.2018 के अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वनभूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन वनिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

दिनांकः– 12·01·2018

(अवनीश कुमार शरण)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज
(छत्तीसगढ़)

Memo/Reader/Coll./

अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति वाड्रफनगर,
जिला – बलरामपुर–रामानुजगंज (छ०ग०)

वन अधिकार मान्यता अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही विवरण

लोक निर्माण विभाग सभाग, रामानुजगंज द्वारा वाड्रफनगर तहसील अन्तर्गत प्रस्तावित **ग्राम–बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण** में प्रभावित **0.50** हे. राजस्व वन एवं **2.128** हे० संरक्षित वन भूमि कुल **2.628** हे. वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत बलंगी (झापर), में दिनांक 06/11/2017 को ग्राम सभा आयोजित कर प्रभावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया ।

प्रभावित वन भूमि कक्ष एवं खसरा अनुसार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	खसरा / कक्ष क्रमांक	भूमि का प्रकार	प्रभावित रकबा (हे. में)
1	बलरामपुर	रघुनाथनगर	46	छोटे झाड़ का जंगल	0.021
2			47	छोटे झाड़ का जंगल	0.352
3			119	छोटे झाड़ का जंगल	0.060
4			120	छोटे झाड़ का जंगल	0.067
5			P- 598	संरक्षित वन	1.876
6			P- 697	संरक्षित वन	0.252
		योग			**2.628**

उपरोक्त विषय को दिनांक 06/01/2018 में आयोजित अनुविभाग स्तरीय वन समिति, वाड्रफनगर की बैठक में **2.628** हे. वन भूमि ग्राम–बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण हेतु गैर वानिकी प्रयोजन के लिए वनसंरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी प्रकार का पट्टा आवंटन नहीं किया गया है और न ही आवंटन करना प्रस्तावित है। अतः अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति, वाड्रफनगर द्वारा सभी सदस्यों की सहमति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है ।

Anil Sidar
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
वाड्रफनगर

अनुविभागीय अधिकारी (वन)
वाड्रफनगर

जनपद सदस्य
वाड्रफनगर

जनपद सदस्य
वाड्रफनगर

अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति
की बैठक दिनांक - 06/1/2018

आज दिनांक 06/01/2018 को अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए-

1. श्री अनिल कुमार तहसीलदार
2. श्री आर० पी० पटेल
3. श्रीमती तपना कुमारी
4. श्री केदी सिंह
5. श्रीमति भगमन देवी
6. श्री विनोद गायकवाड़

आज की बैठक, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग-रामानुजगंज द्वारा प्रस्तावित ग्राम बलंगी (खापर) से उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण कार्य में प्रभावित 0.500 हे० राजस्व वन एवं 2.122 हे० संरक्षित वन भूमि कुल - 2.622 हे० वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु मांगी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विचार करने हेतु विशेष रूप से आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों के समक्ष चाही गई वन भूमि की एवं संरक्षित भूमि को पढ़कर सुनाया गया तथा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बलंगी (खापर) का दिनांक 06/11/2017 एवं तहसीलदार व वनपरिक्षेत्राधिकारी के संयुक्त प्रतिवेदन दिनांक / /2017 को भी समक्ष रखा गया। जिसमें परिक्षेत्र रघुनाथनगर अंतर्गत निम्न भूमियों पर विचारोपरांत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधि० 2006 के अंतर्गत किसी प्रकार का व्यक्तिगत / सामुदायिक पट्टा दिया जाना नहीं पाया गया और न ही आवेदन कोई प्रस्तावित है। अतः निम्न भूमियों के संबंध में गैर वानिकी प्रयोजन हेतु FRA-1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुभाग स्तरीय वन समिति को कोई आपत्ति नहीं है। सदस्यों की सहमति से प्रस्ताव अनुमोदित।

क्र०	वनमंडल	परिक्षेत्र	खसरा/कक्ष क्र०	भूमि का प्रकार	प्रभावित रकबा (हे०)
1.	बलरामपुर	रघुनाथनगर	4-6	छोटे झाड़ के जंगल	0.021
2.			47	छोटे झाड़ के जंगल	0.352
3.			119	छोटे झाड़ के जंगल	0.060
4.			120	छोटे झाड़ के जंगल	0.067

क्रमशः

क्र.	जनपद	तहसील	खसरा/गाटा संख्या	भूमि का प्रकार	प्रभावित क्षेत्र (हे.)
5	[illegible]	[illegible]	P-518	आरक्षित वन	1.976
6			P-617	आरक्षित वन	0.252

कुल - 06   योग - 2.628

हस्ताक्षर

उपप्रभागीय अधिकारी (राज.) - Anil Sila…

उपप्रभागीय अधिकारी (वन) - [initials] 06/10/18

श्रीमती [illegible] - सदस्य - [signature]

श्री देवी सिंह - सदस्य - देवी सिंह

श्रीमती भागमन देवी - सदस्य - भागमनदेवी

श्री [illegible], मंडल संयोजक - Biswa…

प्रदर्श–"अ"

ग्राम सभा झापर बैठक दिनांक 06/11/2012 का कार्यवाही विवरण

ग्राम : **झापर**
स्थान : **पंचायत भवन**

आज दिनांक 06/11/2012 को **ग्राम झापर** में .... की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गयी है, बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति सभा के 65 प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे, बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. **ग्राम झापर,** में आवेदक **कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग, रामानुजगंज द्वारा प्रस्तावित ग्राम–बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण** में प्रभावित **0.50 हे. राजस्व वन एवं 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि कुल 2.628 हे. वन** भूमि के व्यपवर्तन मांग की गई है, इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी ।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी ।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी । जो वन भूमि **ग्राम–बलंगी (झापर) उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण** के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है ।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
	ग्राम **झापर**	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि **2.628 हेक्टेयर राजस्व एवं संरक्षित वन भूमि** को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु **कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग, रामानुजगंज** आवेदक को **वन संरक्षण अधिनियम 1980** अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे ।

हस्ताक्षर सरपंच ग्राम पंचायत बलंगी(झापर)	हस्ताक्षर सचिव ग्राम पंचायत बलंगी(झापर)	अध्यक्ष ग्राम वन समिति झापर

पंचनामा

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज द्वारा तहसील वाड्रफनगर अन्तर्गत प्रस्तावित वाड्रफनगर से बलंगी (झापर) से उत्तर प्रदेश सीमा तक मार्ग निर्माण कार्य में जिला/वनमण्डल बलरामपुर अन्तर्गत 0.50 हे० राजस्व वन भूमि एवं 2.128 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रभावित वन भूमि का आज दिनांक 6.11.17 को वन परिक्षेत्र अधिकारी रघुनाथनगर एवं तहसीलदार वाड्रफनगर तथा ग्राम पंचायत झापर के सरपंच, सचिव एवं ग्रामवासियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया गया है, मार्ग में प्रभावित वन भूमि पर वन अधिकार मान्यता अधिनियम अंतर्गत किसी प्रकार का आवंटन नहीं है और ना ही आवेदन प्रस्तावित है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

(1) [signature]

2. [signature]

[signature]
वन परिक्षेत्र अधिकारी
रघुनाथनगर

[signature]
तहसीलदार
वाड्रफनगर
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

[signature]
सरपंच
ग्राम पं. झापर
[illegible]

[signature]
सचिव
ग्राम पं. झापर
[illegible]

[signature]
पं. स. झापर

कार्यालय ग्राम पंचायत : बलंगी (झापर) बैठक कार्यवाही की सत्य प्रतिलिपि

तहसील – वाड्रफनगर, जिला– बलरामपुर (छ.ग.) बैठक दिनांक 06/11/2012

क्र	उपस्थित सदस्य	विषय	बैठक कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	सही
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)	श्री [illegible] श्री [illegible] श्री [illegible] श्री [illegible] श्री [illegible] श्री [illegible] श्री [illegible] श्री [illegible] श्रीमती [illegible]	प्र. क्र. 01 ग्राम– झापर, में लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज द्वारा **ग्राम–बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण** कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बावत्	आज दिनांक 06/11/2012 को झापर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत **बलंगी (झापर)** की बैठक आयोजित किया गया जिसमें लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज द्वारा **ग्राम–बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण** कार्य में प्रभावित **0.50** हे. राजस्व वन भूमि एवं **2.128** हे. संरक्षित वन भूमि कुल **2.628** हे. वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम अन्तर्गत व्यपवर्तन हेतु मार्ग निर्माण में प्रभावित वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत आबंटन विषय पर चर्चा किया गया और सर्व सम्मति से लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज को **ग्राम–बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण** कार्य में प्रभावित राजस्व एवं संरक्षित वन भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई ।	प्रस्ताव सर्व सहमति से लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज द्वारा प्रस्तावित **ग्राम–बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण** कार्य में प्रभावित राजस्व वन एवं संरक्षित वन भूमि को नियमानुसार आबंटन हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है, अतः उक्त संस्था को मार्ग निर्माण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।	

[signature] [signature] [signature]

अध्यक्ष ग्राम सभा | सरपंच ग्राम पंचायत | सचिव ग्राम पंचायत

(Stamp: सरपंच, ग्राम पं. [illegible], ज. पंचायत वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर (छ.ग.))

(Stamp: सचिव, ग्रा.पं. [illegible], जिला बलरामपुर)